

मूल वाद में फाइनल डिक्री

(आदेश 20 नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा (राज.)

1.नुकूल विजयवर्गीय आफ 53 आत्मज श्री महावीर विजयवर्गीय जाति महाजन निवासी 115 यू0आई0टी0 कॉलोनी सकतपुरा कोटा राज0	बनाम	1.प्रभूलाल दत्तक पुत्र जगन्नाथ जाति माली निवासी ग्राम नान्ता तहसील लाडपुरा कोटा 1/1.धन्नी बाई बेवा प्रभूलाल भोजराज पुत्र स्व0 भैरूलाल
2.श्रीमती मधु विजयवर्गीय आयु 58 वर्ष पत्नी श्री महावीर विजयवर्गीय जाति महाजन निवासी 115 यू0आई0टी0 कॉलोनी सकतपुरा कोटा		1/2.अशोक पुत्र प्रभूलाल 1/3.देवकरण पुत्र प्रभूलाल 1/4.जितेन्द्र पुत्र प्रभूलाल 1/5.निशा पुत्री प्रभूलाल 1/6.यशोदा पुत्री प्रभूलाल निवासीगण ग्राम नान्ता तहसील लाडपुरा जिला कोटा
		2.बिरजी बाई पुी नन्दकिशोर जाति माली 3.प्रेम बाई पुत्री नन्दकिशोर जाति माली निवासी ग्राम नान्ता तहसील लाडपुरा जिला कोटा 4.बरजी बाई पत्नी गंगाराम जाति माली निवासी बाडियां का क्षेत्र नयाखेड़ा तहसील लाडपुरा जिला कोटा 5.राजस्थान जरिये प्रतिनिधि राज्य सरकार तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा 6.अशोक सैनी पुत्र गंगाराम सैनी जाति माली निवासी नयाखेड़ा बाडी गणेशपाल बून्दी रोड कोटा 7.श्रीमती रंजना पत्नी कमल विजय निवासी बी-70 सिद्धी नगर बून्दी रोड कोटा

-वादी

- प्रतिवादीगण

:: वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ::-

मुकद्मा नं. 10/2023

वाद में आज तारीख को डिक्रीदार के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर तहसीलदार लाडपुरा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार ग्राम नान्ता में स्थित ख०नं० 758 रकबा 0.50 है०, ख०नं० 759 रकबा 0.23 है०, ख०नं० 776 रकबा 0.01 है०, ख०नं० 777 रकबा 0.03 है०, ख०नं० 778 रकबा 0.11 है०, ख०नं० 779 रकबा 0.29 है०, ख०नं० 780 रकबा 0.14 है०, ख०नं० 781 रकबा 0.17 है० कुल 8 किता की 1.48 है० भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्नानुसार फाईनल अर्थात् अन्तिम डिक्री जारी की जाकर भूमि विभाजित की जाती है-

नाम खातेदार	ख० नं०	रकबा	दिशा
1.अशोक सैनी पुत्र गंगाराम सैनी जाति माली हि० 1/4	779	0.29	
	780	0.14	
2.बरजी बाई पत्नी गंगाराम जाति माली हि० 3/4	781	0.17	
	778/1	0.0533	
	किता 4	0.6533 है०	
रंजना पत्नी कमल विजय हि० पूर्ण	758/2	0.1633 है०	



उपखण्ड अधिकारी
कोटा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरा न. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, कोटा-0744-2325871

प्रभूलाल दत्तक पुत्र जगन्नाथ हि० पूर्ण	758/1	0.1068	
	778/2	0.0566	
	किता 2	0.1634 है०	
1.नकुल विजयवर्गीय पुत्र महावीर विजयवर्गीय हि० 1/2	758/3	0.23	
	759	0.23	
2.मधु विजयवर्गीय पत्नी महावीर विजयवर्गीय हि० 1/2	777	0.03	
	किता 2	0.49 है०	
शामलाती खाता मुताबिक वर्तमान जमाबंदी	776	0.01 है०	गै०मु०चाह

इस वाद के खर्चे लेखे...X...रुपये की राशि, आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर... X ...प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से व्याज सहित... Xद्वारा Xको दी जाए ।

यह डिक्री आज तारीख.....माह.....सन्को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

वाद के खर्चे

वादी	रुपये	प्रतिवादी	रुपये
1.वादपत्र के लिये स्टाम्प		.शक्तिपत्र के लिये स्टाम्प	
2.शक्तिपत्र के लिये स्टाम्प		अर्जी के लिये स्टाम्प	
3.प्रदर्शों के लिये स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4.....रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिये निर्वाह व्यय	
5.साक्षियों के लिये निर्वाह व्यय		आदेशिका की तामील	
6.कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7.आदेशिका की तामील			



उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
कोटा